प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :–

जनपद ......चमोली......के वन प्रभाग ......बद्रीनाथ......में चमोली / नन्दप्रयाग / पोखरी........रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 / एस0एच0 / डी0एम0आर0......नन्दप्रयाग – कांण्डाई पुल – लुनथरा – कुरूड़ – घाट – रौंडी (49.5 कि0मी0) / नारायणबगड़ – परस्वाल – रैंग (जोपना) (23.3 कि0मी0)......जिसकी कुल लम्बाई ...72.8......कि0मी0 एवं ...0.416......हे0, में मोटरमार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्रथम तल, रिलायंस मार्केट जी0एम0एस0 रोड, निरंजनपुर, देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ————
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ————

उपखण्ड ——— परिक्षेत्र के अन्तर्गत ———————— ———— (—×—हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.33 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.206 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.239 हे0 वन भूमि) का —रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0—प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ————) की दिनांक ———— को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– सुश्री बुशरा अंसारी ——उपजिलाधिकारी (चमोली)——————अध्यक्ष

2– श्री ——————उप प्रभागीय वनाधिकारी——————सदस्य

3– श्री सुनील नेगी ——सहायक समाज कल्याण अधिकारी——————सदस्य / सचिव

4– श्री [illegible] ——बी0डी0सी0 क्षेत्र ——————सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि —नन्दप्रयाग – कांण्डाई पुल – लुनथरा – कुरूड़ – घाट – रौंडी में ओ0 एफ0 सी0 केबिल बिछाने की—परियोजना हेतु 0.239 हे0 वन भूमि —रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ————————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ———— परिक्षेत्र के अन्तर्गत —नन्दप्रयाग – कांण्डाई पुल – लुनथरा – कुरूड़ – घाट – रौंडी OFC परियोजना के निर्माण हेतु ..0.239...हे0 वन भूमि ...रिलायन्स जियो......प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–...चमोली...
जनपद ...चमोली गढ़वाल...

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ...चमोली...... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील–...चमोली...
जनपद...चमोली गढ़वाल...